

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(3)वित्त/बीमा/2019लूज

जयपुर, दिनांक 13.04.2026

आज्ञा

राज्य बीमा एवं प्रावधायी सेवा के निम्नांकित अधिकारी को आगामी आदेश तक अपने वर्तमान पद के कार्यों के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुखान्कित पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	पदनाम मय वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्यभार	विशेष विवरण
1.	सुश्री योगबाला सुण्डा	संयुक्त निदेशक, झुन्झनू	संयुक्त निदेशक, सीकर	श्रीमती मनीता राठौड, संयुक्त निदेशक, सीकर के पद का कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक

राज्यपाल की आज्ञा से



(धनलाल शेरवत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया, उपमुख्यमंत्री महोदय, वित्त।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
6. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव 13/4/26